



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60304-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 327 सन् 2026

प्रेम सिंह

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : मुशीर खान, समरथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सौरभ सिंह

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी,

1. मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता की ओर से श्री वी.के. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके सहायक श्री समरथ सिंह, राज्य की ओर से श्री अंकित गौर, स्थायी अधिवक्ता और प्रबंधन समिति की ओर से श्री सौरभ सिंह, की दलीलें सुनी गईं।

2. वर्तमान अंतर-अदालती अपील, प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य, 2026:एचसी:36704 प्रकरण में माननीय एकल न्यायाधीश के दिनांक 18.02.2026 के आदेश से उत्पन्न हुई है। इसके द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने प्रकरण को नियमितीकरण समिति को वापस भेज दिया है, इस बार मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के दावे पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 33-जी के तहत विचार करने के लिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता को मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर दो पूर्व रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के आधार पर दो बार रिमांड पर भेजा जा चुका है। प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव शिक्षा एवं अन्य, 2025:एचसी:117996 (जिसे आगे 'दूसरी रिट याचिका' कहा गया है) के प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 के अंतिम आदेश द्वारा, रिट न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ मामले को नियमितीकरण समिति को वापस भेज दिया था:

"6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जैसा कि पिछली मुकदमेबाजी में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अस्वीकृति के दौरान उठाई गई आपत्तियां/आधार अवैध हैं। उक्त परिस्थितियों में, अधिकारियों को इन्हीं आधारों पर नियमितीकरण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अधिकारी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने के हकदार नहीं हैं और आदेशों के विरुद्ध कोई अपील दायर किए बिना कोई विपरीत राय नहीं रख सकते। एक बार इस न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिए जाने के बाद, अधिकारियों को कोई अन्य राय नहीं रखनी चाहिए। इसलिए, दिनांक 17.03.2012 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और प्रकरण को अधिकारियों को वापस भेजा जाता है।"

7. नोटिस मिलने के बाद प्रतिवादीगण ने अपने प्रति-हलफनामे दाखिल किए और उसी दृष्टिकोण को दोहराया।

8. प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और 22.09.1993 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन करने पर, वास्तव में यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कार्यवाही करना चाहता है, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि प्राधिकरण द्वारा 17.03.2012 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया होगा।

9. उक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय ऐसी कार्रवाई करने से विवश है और केवल प्राधिकरण द्वारा 17.03.2012 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए, प्रकरण को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर धारा 33(सी) के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए वापस भेजता है।



10. विशेष अपील संख्या 211/1993 दिनांक 22.09.1993 में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका का भी निस्तारण किया जाता है।

4. उस आदेश को प्रभावी करने के बजाय, दिनांक 18.10.2025 का आदेश इस न्यायालय द्वारा दूसरी रिट याचिका में पारित आदेश के स्पष्ट निहितार्थ को दरकिनार करने के लिए पारित किया गया। इस प्रकार, वर्तमान में दिनांक 18.10.2025 के आदेश (जिस पर इस अंतर-न्यायालय अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका में आपत्ति जताई गई है) के माध्यम से, नियमितीकरण समिति ने अब यह तर्क दिया है कि दिनांक 01.07.1992 के नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इसके अलावा, मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को कार्यभार सौंपे जाने और उसके द्वारा संस्थान गिरधारी इंटर कॉलेज, सिरसागंज, फिरोजाबाद में कर्तव्यों का पालन करने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आपत्ति जताई कि मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को पहली बार 30 नवंबर 1993 से वेतन का भुगतान किया गया था। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 33-सी के तहत निर्धारित अनिवार्य पूर्व शर्त को पूरा नहीं किया, जिसके अनुसार कट-ऑफ तिथि 14.05.1991 से 06.08.1993 के बीच होनी चाहिए।

6. वर्तमान में, मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर तीसरी रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया गया है:

" 10. उपरोक्त परिस्थितियों में, कई कानूनी खामियां हैं कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज संबंधित प्रतिवादियों के समक्ष अभिलेख पर नहीं रखे गए थे, इसलिए न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश में गुण-दोष के संबंध में कोई अवैधता नहीं थी। हालांकि, न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता 1993 से संबंधित पद पर कार्यरत है और उसे वेतन भी मिल रहा है, इसलिए, उसके नियमितीकरण के मामले पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार अभी भी विचार किया जा सकता है, जिसमें कट-ऑफ तिथि वर्ष 1999 है। यह मामला हो सकता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति कभी स्वीकृत नहीं हुई थी, लेकिन यह विवादित नहीं है कि उसे वेतन का भुगतान किया गया था और वह पिछले कई वर्षों से यानी तीन दशकों से अधिक समय से कार्यरत है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, न्यायालय विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य, 2024:एचसी:159359 के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए फैसले का भी संज्ञान लेता है, जिसमें इस मुद्दे पर पहले के फैसलों पर ध्यान देने के बाद विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण के दावे पर कानून के अनुसार, विचार की तिथि के अधीन, सख्ती से विचार किया जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे पर अभी भी विचार किया जा सकता है और इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसकी नियुक्ति स्वीकृत नहीं हुई थी, जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि उसे लंबे समय से वेतन दिया जा रहा था।

12. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को संबंधित प्रतिवादीगण को नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

7. इस संदर्भ में, मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि इस स्तर पर एक नया प्रकरण तैयार किया गया है, क्योंकि अब मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 33जी के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह उनका प्रकरण नहीं है। पुनर्विचार के आदेश के संबंध में, यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण को दो बार नियमितीकरण समिति को वापस भेजा गया था और दोनों बार गलत आदेश पारित किए गए थे। इसलिए, रिट न्यायालय को मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को सेवा में नियमित करने के लिए सकारात्मक परमादेश जारी करना चाहिए था।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पहले तर्क में गुण-दोष पाते हैं। कोई भी न्यायालय किसी वादी को उसके द्वारा स्वयं बताए गए तथ्यों के विपरीत कोई विशेष दावा उठाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यहां, मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 33सी के तहत नियमितीकरण का लगातार दावा किया है। उस दावे को वैधानिक अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। न्यायिक कार्यवाही में पुनर्विचार के लिए, रिट न्यायालय ने स्वयं ही दलीलों के विपरीत कोई नया प्रकरण नहीं बनाया होगा। इस हद तक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में सिद्धांत की त्रुटि स्पष्ट रूप से निहित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रकरण को नियमितीकरण समिति को वापस भेजने के निर्देश के संबंध में, हम यह ध्यान देते हैं कि नियमितीकरण समिति द्वारा दिनांक 18.10.2025 को पारित आदेश में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि स्थायी रिक्ति उत्पन्न होने के बाद और मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को 01.09.1992 को नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले कोई अनुरोध नहीं भेजा गया होगा। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को कार्यभार सौंपे जाने और मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज में सहायक शिक्षक के पद पर कार्य करने का कोई प्रमाण नहीं है।

10. इस संदर्भ में, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यद्यपि दिनांक 18.10.2025 के आदेश में ऐसा उल्लेख है, फिर भी यह निष्कर्ष किसी ठोस आधार पर नहीं है। केवल संदेह या आशंका व्यक्त की गई है कि दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने 01.07.0992 से काम नहीं किया होगा और कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया होगा। इस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि वर्ष 1980 में स्थायी रिक्ति उत्पन्न हुई थी। इसलिए, यह मानना कठिन है कि कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया होगा, क्योंकि मांग पत्र जारी करने के लिए न केवल प्रबंधन समिति बल्कि स्वयं डीआईओएस को भी किसी भी वर्ष में उत्पन्न होने वाली स्थायी रिक्ति के संबंध में आवश्यक मांग पत्र जारी करना होता है। रिक्ति उत्पन्न होने से लेकर याचिकाकर्ता की नियुक्ति 01.07.1992 को होने तक बारह वर्षों की लंबी अवधि के कारण, कानून में अनुमान अन्यथा बना रह सकता है, विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के प्रावधानों को देखते हुए।

11. उपरोक्त के आलोक में, हम पाते हैं कि वर्तमान में दिनांक 18.10.2025 का आदेश किसी ठोस सामग्री या साक्ष्य के आधार पर नहीं, बल्कि संदेह के आधार पर पारित किया गया प्रतीत होता है। हम इस बात से भी अवगत हैं कि न्यायालयों द्वारा बार-बार प्रकरण को वापस भेजना निरर्थक है। एक बार रिट न्यायालय द्वारा निर्देश जारी कर दिया जाए, तो उसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। जिस प्राधिकारी को प्रकरण वापस भेजा जाता है, उसे प्राप्त शक्ति किसी दावे को नकारने की नहीं, बल्कि वास्तविक विवाद का निस्तारण करने की होती है। इस दृष्टि से, हम पाते हैं कि दिनांक 18.10.2025 का आदेश विधि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपरोक्त कारणों से, रिट न्यायालय का दिनांक 18.02.2026 का आदेश अपास्त किया जाता है। साथ ही, नियमितीकरण समिति द्वारा दिनांक 18.10.2025 को पारित आदेश भी अपास्त किया जाता है। नियमितीकरण समिति को सीमित रूप से वापस भेजा जाता है ताकि वह केवल दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित पहलुओं पर विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करे:

- (i) क्या 1980 में या 01.07.1992 से पहले कोई वास्तविक रिक्ति अस्तित्व में आई थी?
- (ii) यदि ऐसी वास्तविक रिक्ति अस्तित्व में आई थी, तो क्या प्रबंधन समिति द्वारा स्वयं या डीआईओएस द्वारा 01.07.1992 से पहले कोई अनुरोध किया गया था? यदि वास्तविक रिक्ति आई थी लेकिन कोई अनुरोध नहीं किया गया था, तो वर्तमान प्रकरण में सीमित विचार के लिए यह मान लिया जाए कि ऐसा अनुरोध किया गया था।
- (iii) क्या याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.07.1992 के आदेश के अनुसार सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था और कर्तव्यों का पालन किया था? इस प्रकार की तथ्य-जांच केवल प्रबंधन समिति द्वारा उस अवधि के दौरान सभी शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर ही की जा सकती है। यदि प्रबंधन समिति (सभी शिक्षकों के) वेतन भुगतान से संबंधित सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के पक्ष में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

13. यह प्रक्रिया आज से एक माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए और ऊपर उल्लिखित सीमित पहलुओं के आधार पर उचित तर्कसंगत आदेश पारित किया जा सकता है।

14. विशेष अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी,) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

24 मार्च, 2026

फराजे